

# डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)  
श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)

दिलीप कुमार आयु 48 साल पुत्र झम्मनलाल जाति वैश्य निवासी मौहल्ला चेतन नगर  
कस्वा बाडी तह0 बाडी

## बनाम

- साजिद } पुत्रगण जाहिद खाँ जातिगण मुसलमान
- वाजिद } निवासी कस्वा बाडी तह0 बाडी
- कमलेश पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम झोर हाल आबाद छीतर खाँ का पुरा  
तह0 बाडी
- भूरसिंह पुत्र भम्पालसिंह जाति ठाकुर निवासी राजपूत कालौनी कस्वा बाडी तह0 बाडी
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी लैण्ड होल्डर

## दावा दावत

मुकदमा नं. 24/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं  
श्री बच्चूसिंह परमार एड0 मिनजानिव मुद्दई श्री  
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम  
डिक्री किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार कस्वा बाडी नं0 1 में  
खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

- दिलीप कुमार पुत्र झम्मनलाल जाति वैश्य निवासी चेतन नगर बाडी खातेदार  
खसरा नं0 रकवा किस्म  
573/1 1-0 बारानी सोयम
- भूरसिंह पुत्र भम्पालसिंह जाति ठाकुर सा0देह खातेदार  
खसरा नं0 रकवा किस्म  
573/2 0-10 बारानी सोयम
- कमलेश पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी झोर हाल आबाद म0देह  
खसरा नं0 रकवा किस्म  
573/3 2-14 बारानी सोयम
- साजिद खाँ, वाजिद खाँ पुत्रान जाहिद खाँ जाति मुसलमान सा0देह  
खसरा नं0 रकवा किस्म  
573/4 0-02 बारानी सोयम

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व  
रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक  
पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा।  
अनुसूचित कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

मुकदमा नं. .... मुबलिंग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .....  
 को अदा करें।  
 वसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 07 साल 2016 को  
 की गई।

दस्तखत .....  
 ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुकदमा	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील ) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील ) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या / नही खर्च करना चाहिये।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

उनवान

दिलीप कुमार

बनाम

साजिद वगै०

1. दिलीप कुमार आयु 48 साल पुत्र झम्मनलाल जाति बैश्य निवासी मौहल्ला चेतन नगर कस्वा बाडी तह० बाडी

बनाम

1. साजिद } पुत्रगण जाहिद खाँ जातिगण मुसलमान
2. वाजिद } निवासी कस्वा बाडी तह० बाडी
3. कमलेश पत्नी बिजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम झोर हाल आबाद छीतर खाँ का पुरा तह० बाडी
4. भूरसिंह पुत्र भम्पालसिंह जाति ठाकुर निवासी राजपूत कालौनी कस्वा बाडी तह० बाडी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री बच्चूसिंह परमार एड०

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा०का० अधि०


दावा सं. 24/2015

दिनांक :- 01.07.2016

निर्णय

दावा वादी दिनांक 12.12.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 573/4-06 बांके कस्वा बाडी नं० 1 तह० बाडी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जे अनुसार कृषि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये कि वादी दिलीप कुमार को आ०ख०नं० 573/1 रकवा 1-00 व प्रति० सं० 4 को आ०ख०नं० 573/2 रकवा 0-10 व प्रति० सं० 3 को आ०ख०नं० 573/3 रकवा 2-14 व प्रति० सं० 1 व 2 को आ०ख०नं० 573/4 रकवा 0-02 की खातेदारी में दिया जावे। बहस कुर्रेजात वादी सुनी गई। वादी द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। वादी द्वारा दी गई सहमति के आधार प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार कस्वा बाडी नं० 1 में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

  
उपखण्डाधिकारी  
बाडी (धौलपुर) राज

1. दिलीप कुमार पुत्र झम्मनलाल जाति वैश्य निवासी चेतन नगर बाडी खातेदार  
 खसरा नं० रकवा किरम  
 573/1 1-0 बारानी सोयम
2. भूरसिंह पुत्र भम्पालसिंह जाति ठाकुर सा०देह खातेदार  
 खसरा नं० रकवा किरम  
 573/2 0-10 बारानी सोयम
3. कमलेश पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति गूजर निवासी झोर हाल आबाद म०देह  
 खसरा नं० रकवा किरम  
 573/3 2-14 बारानी सोयम
4. साजिद खाँ, वाजिद खाँ पुत्रान जाहिद खाँ जाति मुसलमान सा०देह  
 खसरा नं० रकवा किरम  
 573/4 0-02 बारानी सोयम

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाडी (मौलपुर) राज